वन भूमि हेतु औचित्य एवं आवश्यकता

कार्य का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में हिना–गांव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.606 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी0 3.00 तक)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 2.606 है0 आरक्षित / सिविल सोयम वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

पटवारी
नेताला

तहसीलदार
भटवाड़ी
तहसीलदार
भटवाड़ी
उत्तरकाशी

उपजिलाधिकारी
भटवाड़ी
उप जिलाधिकारी
भटवाड़ी उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता
सहायक अभि0प्रा0खण्ड लो0नि0वि0
भटवाड़ी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
भटवाड़ी

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी
बाड़ाहाट वन राजि

प्रतिहस्ताक्षर

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

2.3 a

14

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

कार्य का नाम– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में हिना–गांव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.606 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।(किमी0 0.0 से 2/38 तक)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0, भटवाडी के अधीन जिला योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले हिना–गांव मोटर मार्ग के निर्माणकार्य का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 8.12.2014 से 11–12–2014 तक वन क्षेत्राधिकारी एवं वन दरोगा बाडाहाट रेंज उत्तरकाशी,कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0 भटवाडी, सहायक अभियन्ता प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 भटवाडी तथा अमीन, प्रान्तीय ख0 लो0 नि0 वि0,भटवाडी तथा क्षेत्रीय पटवारी नेताला द्वारा किया गया है।

इस प्रयोजना में प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि बाडाहाट रैंज में 2.048 है0 तथा सिविल सोयम भूमि 0.018 है0 एवं डम्पिग हेतु 0.540 है0, कुल वन भूमि 2.606 का उपयोग किया जायेगा। इसके अलावा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित भूमि की मांग न्यूनतम है। मार्ग का 7.00 चौडाई में संयुक्त निरीक्षण किया गया है निरीक्षण रपोर्ट के अनुसार विभिन्न प्रजाति के आरक्षित वन भूमि में ~~801~~ 684 वृक्ष कुल सिविल सोयम वन भूमि में 0 वृक्ष, ~~801~~ 684 वृक्ष आयेंगे जिनका सड़क निर्माण हेतु पातन होना आवश्यक होगा, जिसकी गणना सूची संलग्न है।

प्रस्तावित क्षेत्र का वन घनत्व 0.7 से अधिक है तथा इकोक्लास V के अन्तर्गत आता है।

वन भूमि का विवरण

1.	*मोटर मार्ग निर्माण हेतु :– आरक्षित वन भूमि*	–	*2.048*
	सिविल सोयम भूमि	–	*0.018*
		योग :–	*2.066*
2.	*मोटर मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवर डम्पिंग हेतु स्थल–आरक्षित भूमि –*		*0.540*
		योग :–	*2.606*

1. 0/26 से 0/28
2. 1/36 से 1/38
3. 2/23 से 2/25

कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
भटवाड़ी

अनुभाग अधिकारी
मनेरी
बाड़ाहाट रेंज

वन क्षेत्राधिकारी,
बाड़ाहाट रेंज,

अमीन ,
प्रन्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

क्षेत्रीय पटवारी नेताला,
तहसील भटवाड़ी

वन बीट अधिकारी,
मनेरी बीट, बाड़ाहाट रेंज

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0निव0
भटवाड़ी।

तहसीलदार,
भटवाड़ी

उपजिलाधिकारी
भटवाड़ी

उपवन संरक्षक
उत्तरकाशी वन प्रभाग,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
भटवाड़ी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी ।

उप वन संरक्षक
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

SITE INSPACTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from **Provincial Division P.W.D. Bhatwari (Uttarkashi)** for diversion under FCA -1980 of 2.066 Hec.forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of **Hina to Heena Village Link road** km 3.00. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 11-**12-2014**

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RE/PF/un-classed/Protect forest measuring 2.066 **Hectare.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part – 1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details of – **No**

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required – **No**

✓ a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

✗ b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conversation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conversation) Act, 1980 is attached.

c) Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal – **The proposal recommended subject to fulfillment of condition like provisions compensatory off organization boundary pillars demarcation, development works and strict adherence to F.C. Act 1980.**

Place: - Kot Bangla Uttarkashi
Date: - 11.12.2014

Name
Designation

Divisional Forest Officer
Uttarkashi Forest Division
UTTARKASHI

N.B. x
Xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 for Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

(2.1) (1)

प्रतिवेदन

कार्य का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में हिना–गांव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.606 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी0 3.00 तक)

उपरोक्त मोटर मार्ग की जिला योजना के अन्तर्गत प्रषासकीय एवं वितीय स्वीकृति षासनादेष सं–624 / जि0यो0 / रा0यो0आ0 / मो0स0 / 2008 दिनॉक 24 मार्च 2009 के दवारा 3 किमी0 लम्बाई के प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं वन भूमि पत्रावली गठन कार्य हेतु रु0 1.00 लाख की प्राप्ति हुई है।जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक सर्वक्षण एवं वन भूमि पत्रावली गठन कार्य किया जाएगा।यह मार्ग धरासू –गंगोत्री राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 108 के किमी0 38 में स्थित हिना बाजार नामक स्थान से प्रारम्भ होकर 3 किमी0 लम्बाई में हिना गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के अर्न्तगत पडने वाली वन भूमि हस्तांनातरण प्रस्ताव गठन किया गया है। भूवैज्ञानिक द्वारा भी उक्त मोटर मार्ग का निरीक्षण किया जा चुका है। जिसके स्थल निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में संलग्न है।मार्ग निर्माण के अर्न्तगत पडने वाली वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण 8 / 12 / 2014 से 11 / 12 / 2014 को वन विभाग राजस्व विभग एवं प्रस्ताव विभाग के द्वारा किया गया। जिसमें सिविल स्वंय भूमि 0.018 आरक्षित वन भूमि 2.588 है0 कुल वन भूमि 2.066 है0 का मार्ग निर्माण में उपयोग किया जाएगा ।आरक्षित वन भूमि विभिन प्रजातियों के 801 वृक्षों का पातन किया जाना आवष्यक है। वृक्षों की गणना सूचि संलग्न है। डम्पिग हेतु तीन स्थलों का चयन किया गया है। जिसमें आरक्षित वन भूमि 0.540 है0 का उपयोग किया जाएगा।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के अभाव में हिना गॉव की कृषि उपज को बाजार तक पंहुचाने हेतु कृषकों को पैदल मार्ग का उपयोग करना पडता है जिस कारण कृषि उपज का मुल्य लागत से कम आता है। कृषि उपज बाजार तक नहीं पहुंच पाती है।गॉव को मुख्य मार्ग तक जोडने हेतु उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवष्यक है। जिससे ग्रामिणों को जिला मुख्यालय जाने में सुविधा प्राप्त हो। मार्ग में पडने वाले सिविल स्वयं वन भूमि /आरक्षित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

1. मोटर मार्ग निर्माण –सिविल स्वंय भूमि – 0.018 है0
   –आरक्षित वन भूमि – 2.588 है0
   कुल–2.066 है0

2.मोटर मार्ग से उत्सर्जित मलवा डम्पिंग हेतु
स्थल एक–0.180 आरक्षित
स्थल दो–0.180 आरक्षित
स्थल तीन–0.180 आरक्षित
कुल –0.540

उक्त वन भूमि स्थानातरण प्रस्ताव चेक लिस्ट के आधार पर गठित किया गया है।मार्ग निर्माण हेतु 2.066 है0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के पक्ष में स्थानातरण प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियंता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
भटवाडी

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
भटवाडी

सहायक अभियंता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
भटवाडी (उत्तरकाशी)